



राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान  
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवंपरिवारकल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग  
जयपुर, राजस्थान फोन न. 0141-2229693, Email ID:-conuhm.raj@gmail.com

No: NHM/PA/MD/2020/35

Dated: 20/03/2020

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
समस्त जिले।

**विषय:-** कोरोना वायरस संक्रमण COVID-19 की रोकथाम के लिए बनाये गये Mobile App-RSMP (Rajasthan Social Media Platform) के द्वारा किये जाने वाले सर्वे बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम व बचाव हेतु गठित किये गये दलों द्वारा संदिग्ध क्षेत्रों में सक्रीय निगरानी हेतु किये जाने वाले सर्वे के सुगम क्रियान्वयन हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा Mobile Application-RSMP (Rajasthan Social Media Platform) तैयार की गई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा किये जाने वाले सर्वे हेतु वर्तमान में उपयोग किये जा रहे रजिस्टर/फार्म के स्थान पर यथासम्भव Mobile Application-RSMP का उपयोग किया जावे। Mobile Application-RSMP द्वारा सर्वे किये जाने की स्थिति में आवश्यक रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को मोबाईल डेसबोर्ड पर उपलब्ध होगी एवं अन्यथा State Monitoring Units द्वारा संबंधित को उपलब्ध करवा दी जावेगी।

इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु नोडल अधिकारी, डॉ. रोमेल सिंह से मो0 न0 9672371184 पर संपर्क करें।

नोट:- Mobile Application-RSMP के उपयोग हेतु आवश्यक प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग युनिसेफ द्वारा प्रदान किया जावेगा।

मिशन निदेशक, एनएचएम  
विशिष्ट शासन सचिव, चि. एवं स्वा.  
स्वा. विभाग, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चि. एवं स्वा. सेवायें एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निजी सचिव, निदेशक जनस्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
4. विशेषाधिकारी, एनएचएम।
5. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
6. प्रतिनिधि, युनिसेफ को भेजकर निवेदन है कि उक्त ऐप के उपयोग हेतु आवश्यक प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. संयुक्त निदेशक, समस्त जोन, राजस्थान।
8. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
9. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), समस्त जिले।
10. जिला/शहरी कार्यक्रम प्रबन्धक/आईडीएसपी सेल, समस्त जिले।
11. सर्वर रूम।
12. कार्यालय प्रतिलिपि।

मिशन निदेशक,  
एनएचएम